



कार्यालय: प्रधानाचार्य, रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज एवं संबद्ध
चिकित्सालय बाँदा।

Email. ID. bandamedicalcollege@gmail.com Website www.gmcbanda.ac.in

संख्या: रा0दु0मे0का0बाँ0/विज्ञप्ति/2024/

दिनांक:-26.06.2024

—:रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज, बाँदा में संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य
एवं सहायक आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति:—

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या-रा0दु0मे0का0बाँदा/2024/4584, दिनांक-06.03.2024 द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में माह-अप्रैल, 2024 से प्रत्येक गुरुवार को इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्यों, सह-आचार्यों एवं सहायक आचार्यों के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक-14 जून, 2024 के अनुसार एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk in interview) के माध्यम से कालेज स्तर से चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार के समय अपने समस्त सम्बन्धित मूल अभिलेखों व एक सेट अभिलेखों (शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं 02 फोटो के साथ दिनांक-27.06.2024 (गुरुवार) को प्रधानाचार्य कार्यालय, मेडिकल कालेज, बाँदा में समय प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज, बाँदा में संविदा पर चयन हेतु 100 बिन्दु रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों की स्थिति					
क्र.सं.	विशिष्टता का नाम	विशिष्टता का नाम अंग्रेजी में	आचार्य	सह-आचार्य	सहा0आचार्य
1	आर्थोपेडिक्स	Orthopedics	01 (SC)	0	0
2	आयुलमोलॉजी	Ophthalmology	01 (UR)	01 (UR)	0
3	आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	Obstetrics and Gynecology	01 (OBC)	0	0
4	इमरजेंसी मेडिसिन	Emergency Medicine	01 (UR)	01 (OBC)	02 (EWS, OBC)
5	एनाटमी	Anatomy	0	0	01 (SC)
6	एनेस्थीसियोलॉजी	Anesthesia	0	01 (SC)	02 (UR)
7	कम्युनिटी मेडिसिन	Community Medicine	0	0	01 (UR [#])
8	दन्त रोग	Dentistry	-	01 (SC)	0
9	जनरल मेडिसिन	General Medicine	0	02 (OBC,UR)	02, (OBC, SC)
10	जनरल सर्जरी	General Surgery	0	01 (OBC)	0
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	Tuberculosis and Respiratory Medicine	0	0	0
12	डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	Dermatology, Venereology and Leprosy	-	01 (EWS)	01 (OBC)
13	पीडियाट्रिक्स	Pediatrics	01 (SC)	01 (UR)	01 (EWS)
14	फार्माकोलॉजी	Pharmacology	0	0	02 (UR, OBC)
15	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	Physical Medicine and Rehabilitation	01 (UR)	0	0
16	फोरेसिक मेडिसिन	Forensic Medicine	0	0	01 (SC)
17	बायोकेमिस्ट्री	Biochemistry	0	0	0
18	माइक्रोबायोलॉजी	Microbiology	01 (UR)	0	02 (UR, OBC)
19	रेडियो-डायग्नोसिस	Radio-Diagnosis	01 (OBC)	01 (UR)	0
20	पैथोलॉजी	Pathology	0	0	0
21	ब्लड बैंक	Blood Bank	01 (OBC)	01 (OBC)	01 (OBC)
22	मानसिक रोग	Psychiatry	0	0	0
Total			09	11	16

UR[#]-Statistician cum Assistant Professor

नोट-शासन द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही चयन की प्रक्रिया की जायेगी एवं पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

उक्त पदों पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

1. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू०-1,35,000/- (मेडिकल कालेज से सेवानिवृत्त आचार्य को शासनादेश संख्या-250/2018/4067/71-1-2017-जी०-63/2008 द्वारा निर्गत शर्तों अनुसार वेतन रू०-220,000/- दिये जाये) सह-आचार्यों का नियत वेतन रू०-1,20,000/- तथा सहायक आचार्य का नियत वेतन रू०-90,000/- प्रतिमाह है।
 2. समस्त पदों पर योग्यता एन०एम०सी०, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार होगी।
 3. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने/महानिदेशालय से सेवा बाण्ड के आधार पर चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर (Last Come First Go) के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं संतोषजनक सेवा न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है। संविदा छोड़ने की स्थिति में 01 माह पूर्व नोटिस या नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का वेतन/मानदेय जमा कराना होगा।
 4. साक्षात्कार की तिथि, अन्य विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें मेडिकल कालेज की वेबसाइट www.gmcbanda.ac.in पर समय-समय पर प्रदर्शित की जायेगी। अतः वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
 5. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये ही मान्य होगा।
 6. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र दिनांक-01.04.2024 के पश्चात का ही मान्य होगा।
 7. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावतिक विद्यमान शासनादेशों के अनुरूप आरक्षण अनुमन्य होगा।
- नोट-वाइ-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संख्या: रा०दु०मे०का०बाँ०/2024/

988

तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को महानिदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. वित्त नियन्त्रक, रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज, बाँदा।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज, /स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय उ०प्र०।
6. प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान कार्यालय, रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज, बाँदा।
7. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज, बाँदा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
8. समस्त सदस्य चयन समिति चिकित्सा शिक्षक, मेडिकल कालेज, बाँदा।
9. नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।

प्रधानाचार्य
रा०दु०मे०का०,बाँदा।

प्रधानाचार्य
रा०दु०मे०का०,बाँदा।